

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग

मांग संख्या 27

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग

क. वसूलियों को घटाकर बजट आबंटन और राजस्व प्राप्तियाँ नीचे दी गई हैं;

(करोड़ रुपए)

| मुख्य शीर्ष | बजट 2002-2003 | | | संशोधित 2002-2003 | | | बजट 2003-2004 | | | |
|---|---------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|-------------|
| | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | |
| राजस्व | 366.73 | 7.11 | 373.84 | 841.87 | 6.03 | 847.90 | 912.40 | 7.58 | 919.98 | |
| पूंजी | 103.17 | 1.50 | 104.67 | 178.03 | 1.50 | 179.53 | 157.50 | ... | 157.50 | |
| जोड़ | 469.90 | 8.61 | 478.51 | 1019.90 | 7.53 | 1027.43 | 1069.90 | 7.58 | 1077.48 | |
| 1. सचिवालय सेवाएं | | | | | | | | | | |
| 1.1 सचिवालय-सामान्य सेवाएं | 2052 | ... | 2.35 | ... | 1.99 | 1.99 | ... | 3.17 | 3.17 | |
| 1.2 पूर्वोत्तर परिषद का सचिवालय | 2070 | ... | 4.75 | ... | 4.03 | 4.03 | ... | 4.41 | 4.41 | |
| जोड़ | ... | 7.10 | 7.10 | ... | 6.02 | 6.02 | ... | 7.58 | 7.58 | |
| 2. पूर्वोत्तर परिषद की योजनाएं | 2552 | 115.81 | ... | 115.81 | 99.30 | ... | 99.30 | 108.00 | ... | 108.00 |
| | 3601 | 231.52 | ... | 231.52 | 228.17 | ... | 228.17 | 290.00 | ... | 290.00 |
| | 7601 | 23.97 | ... | 23.97 | 27.54 | ... | 27.54 | 32.30 | ... | 32.30 |
| जोड़ | 371.30 | ... | 371.30 | 355.01 | ... | 355.01 | 430.30 | ... | 430.30 | |
| 3. आर्थिक महत्व की सड़कों का निर्माण/सुधार | 4552 | 25.00 | ... | 25.00 | 23.00 | ... | 23.00 | 25.00 | ... | 25.00 |
| 4. सरकारी उद्यमों में निवेश | 4853 | 0.50 | ... | 0.50 | 0.50 | ... | 0.50 | 0.50 | ... | 0.50 |
| 5. नेरामाक में वीआरएस के कार्यान्वयन हेतु अनुदान | 2852 | ... | 0.01 | 0.01 | ... | 0.01 | 0.01 | ... | ... | ... |
| 6. पूर्वोत्तर हथकरघा और हस्तशिल्प विकास निगम को आयोजना-भिन्न ऋण | 6851 | ... | 1.50 | 1.50 | ... | 1.50 | 1.50 | ... | ... | ... |
| 7. पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड को अनुदान | 2885 | 15.40 | ... | 15.40 | 15.40 | ... | 15.40 | 15.40 | ... | 15.40 |
| 8. पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए संसाधनों के केंद्रीय पूल से अनुदान | 3601 | ... | ... | ... | 495.00 | ... | 495.00 | 495.00 | ... | 495.00 |
| 9. पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए संसाधनों के केंद्रीय पूल से ऋण | 7601 | ... | ... | ... | 55.00 | ... | 55.00 | 55.00 | ... | 55.00 |
| 10. विज्ञापन और प्रचार | 2250 | 2.00 | ... | 2.00 | 2.00 | ... | 2.00 | 2.00 | ... | 2.00 |
| 11. तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण | 2250 | 2.00 | ... | 2.00 | 2.00 | ... | 2.00 | 2.00 | ... | 2.00 |
| 12. अन्य कार्यक्रम | 4552 | 53.70 | ... | 53.70 | 71.99 | ... | 71.99 | 44.70 | ... | 44.70 |
| कुल जोड़ | 469.90 | 8.61 | 478.51 | 1019.90 | 7.53 | 1027.43 | 1069.90 | 7.58 | 1077.48 | |
| ख. सरकारी उद्यमों में निवेश | विकास शीर्ष | बजट समर्थन | आं.ब.बा.सं. | जोड़ | बजट समर्थन | आं.ब.बा.सं. | जोड़ | बजट समर्थन | आं.ब.बा.सं. | जोड़ |
| 4.01. सिक्किम खनन निगम लि0 | 12853 | 0.50 | 0.82 | 1.32 | 0.50 | 0.82 | 1.32 | 0.50 | 0.82 | 1.32 |
| जोड़ | | 0.50 | 0.82 | 1.32 | 0.50 | 0.82 | 1.32 | 0.50 | 0.82 | 1.32 |
| ग. योजना परिव्यय | | | | | | | | | | |
| 1. अलौह खनन एवं धातु उद्योग | 12853 | 0.50 | 0.82 | 1.32 | 0.50 | 0.82 | 1.32 | 0.50 | 0.82 | 1.32 |
| 2. औद्योगिक वित्तीय संस्थाएं | 12885 | 15.40 | ... | 15.40 | 15.40 | ... | 15.40 | 15.40 | ... | 15.40 |
| 3. अन्य सामाजिक सेवाएं | 22250 | 4.00 | ... | 4.00 | 4.00 | ... | 4.00 | 4.00 | ... | 4.00 |
| जोड़ | 19.90 | 0.82 | 20.72 | 19.90 | 0.82 | 20.72 | 19.90 | 0.82 | 20.72 | |
| राज्य योजनाएं | | | | | | | | | | |
| 1. पूर्वोत्तर क्षेत्र | 43601 | 450.00 | ... | 450.00 | 450.00 | ... | 450.00 | 500.00 | ... | 500.00 |
| 2. पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए संसाधनों का केंद्रीय पूल | 43601 | ... | ... | ... | 550.00 | ... | 550.00 | 550.00 | ... | 550.00 |
| जोड़ | 450.00 | ... | 450.00 | 1000.00 | ... | 1000.00 | 1050.00 | ... | 1050.00 | |
| जोड़ | 469.90 | 0.82 | 470.72 | 1019.90 | 0.82 | 1020.72 | 1069.90 | 0.82 | 1070.72 | |

1.1 **सचिवालय-सामान्य सेवाएं:** यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग के व्यय के लिए है।

1.2 **पूर्वोत्तर परिषद का सचिवालय:** यह प्रावधान पूर्वोत्तर परिषद के सचिवालय के व्यय के लिए है।

2. **पूर्वोत्तर परिषद** - पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1971 के अंतर्गत की गई थी, जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के सात राज्यों का एकीकृत आर्थिक विकास सुनिश्चित करना था। अधिनियम में संशोधन कर सिक्किम को इसमें एक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। परिषद का मुख्यालय शिलांग में है। परिषद के उद्देश्यों में अन्य बातों के साथ-साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र का संतुलित विकास करना शामिल है। परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के लिए सम्मिलित महत्व के मामलों के संबंध में एक एकीकृत एवं समन्वित क्षेत्रीय योजना तैयार करके इन उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करती है।

3. यह कार्य सीमा सड़क संगठन के माध्यम से किया जाता है। यह संगठन चालू सड़क स्कीमों को पूरा करने की और भी ध्यान केंद्रित करेगा।

4. यह व्यवस्था सिक्किम सरकार और भारत सरकार के बीच संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में सिक्किम खनन निगम की इक्विटी में अंशदान करने के लिए है, जिसका इक्विटी पूंजी अनुपात 51:49 है। निगम का उद्देश्य साफ्ट सिकिंग, गहरी खुदाई तथा उपकरण प्रदान करके भोटों तथा पाचेखानी की अपनी खानों का विकास करना है।

7. एन.ई.एफ.डी.आई. का निगमन कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 9 अगस्त, 1995 को किया गया था, जिसका पंजीकरण कार्यालय गुवाहाटी में है।

एन.ई.डी.एफ.आई. का उद्देश्य क्षेत्र पर्यावरण अनुकूल तथा वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य औद्योगिक, आधारभूत ढांचा तथा बागवानी परियोजनाओं की पहचान कर पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

8 और 9. केन्द्रीय संसाधन पूल का प्रमुख उद्देश्य क्षेत्र में विशिष्ट व्यवहार्य आधारभूत ढांचा परियोजनाओं/योजनाओं के लिए बजटीय सहायता के प्रवाह में वृद्धि कर पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम में आधारभूत ढांचे के तीव्र विकास को सुनिश्चित करना है।

10. इस विभाग का आयोजना बजट गृह मंत्रालय से विज्ञापन एवं प्रचार बजट प्राप्त करता है और "डोनर्स" क्रियाकलापों की जागरूकता एवं पारदर्शिता बढ़ाने के लिए इसकी आवश्यकता होगी।

11. इस क्षेत्र में राज्यों की सांस्थानिक क्षमता अड़चने जो परियोजना तैयार करने, परियोजनाओं की मानीटरिंग एवं मूल्यांकन आदि से संबंधित है, क्षमता निर्माण के लिए बजट प्रावधानों द्वारा दूर होने की आशा है। योजना तैयार करने, भावी योजनाओं, विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को तैयार करने, प्रभाव अध्ययन एवं मूल्यांकन रने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी जिससे राज्य सरकार और कार्यान्वयक एजेंसियों को अपना निष्पादन स्तर सुधारने में मदद मिलेगी।

12. पूर्वोत्तर राज्यों के अंतर्गत अंतः- क्षेत्रीय संयोजनता बढ़ाने के लिए पूर्वोत्तर परिषद 50 सीटों वाले विमान की सेवाएं शुरू करने हेतु नागर विमानन मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयत्नों की अनुपूर्ति करेगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्यमान विमानपत्तनों में चल रहे सुधार कार्यों को भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण लि. की सहायता से पूरा एवं प्रचालित किया जाएगा।